5. नियमानुसार बाह्य विकास लागत राशि पर्यवेक्षण फीस संबंधित नगर पंचायत बरेली में जमा करना होगा तथा कालोनी का विकास उनके द्वारा निर्धारित मानकों एवं शर्तो के आधार पर पूर्ण करना होगा । विकास पूर्णता का प्रमाण – पत्र इस कार्यालय से भी अनिवार्यता प्राप्त करना होगा । जो कि अंतिम अनुज्ञा होगी । साथ ही भूखण्ड एवं क्रमांक में कोई भिन्नता हेतु इस कार्यालय से पुनः अनुमोदन करना आवश्यक होगा ।

6. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के नियम 78 (4) के प्रावधानों के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग / रूफ वाटर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया अपनानी होगी ।

7. संस्था/ आपके द्वारा प्रस्तुत अक्स/बटान में किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी / संस्था की होगी ।

8. प्रस्तावित अभिन्यास के अपूर्ण भू–खण्डों का पूर्णरूपेण समायोजन किया जावें ।

9. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के नियम 64 के प्रावधानों के अनुसार स्थल पर वृक्षारोपण सुनिश्चित किया जायें । इसके साथ ही मध्यप्रदेश शासन के आदेशानुसार 15 वृक्ष प्रति हेक्टर क्षेत्रफल के मान के अनुसार वृक्षारोपण सुनिश्चित किये जाने के पश्चात् ही भवन अनुज्ञा संबंधित नगर पंचायत एवं स्थानीय संस्था द्वारा दी जावें ।

10. म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 23 के प्रावधानों के अनुरूप यह अनुज्ञा जारी होने के दिनांक से 3 वर्ष तक की कालावधि तक प्रवृत्त रहेगी ।

11. प्रस्तावित अभिन्यास में मध्यप्रदेश नगरपालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्वधन तथा शर्ते) नियम 1998 के नियम 30(4) के अनुसार कमजोर आय वर्ग के लिए अभिन्यास में दर्शाये अनुसार 40.0 वर्ग मीटर के 43 भूखण्ड उपलब्ध कराया जाना होगा तथा निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए विकसित भूखण्ड के 10 प्रतिशत भूमि पर 54.0 वर्ग मीटर के पूर्ण विकसित भूखण्ड आरक्षित रखना होगा । इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी नगर पंचायत बरेली द्वारा सुनिश्चित किये जाने के पश्चात् ही विकास अनुमति एवं भवन अनुज्ञा दी जाना होगा ।

12. भूमि का सक्षम कार्यालय से सीमांकन करवाने के पश्चात अनुमोदित अभिन्यास को स्थल पर चिन्हित करवाकर अनुमोदित अभिन्यास का स्थल पर सत्यापन इस कार्यालय से एक माह की अवधि के भीतर करवाना आवश्यक होगा जिसके आधार पर ही स्थल पर विकास कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा अन्यथा सत्यापन के बगैर किया गया विकास कार्य अवैध मान्य किया जावेगा।

13. स्थल पर विद्यमान वृक्षों को यथावत् रखना होगा ।

14. इस अभिन्यास को भूमि स्वामित्व का दस्तावेज न समझा जावें ।

15. अनुमोदित अभिन्यास की सत्यापित प्रति मय आदेश के स्थल पर विकास कार्य के दौरान रखना आवश्यक होगा।

16. मार्गो के पूर्ण विकास विद्युत प्रदाय (स्ट्रीट लाईट) जल प्रदाय ओवर हैड टेंक सेप्टिक टेंक पार्को का विकास खुले क्षेत्रों तथा मार्गो के किनारे वृक्षारोपण ठोस अवशिष्ट प्रबंधन एवं अन्य आवश्यक सेवा